हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
राजस्व वाद संख्या 114 / 2024 उनवान पूजा बनाम ज्ञानचन्द	
30/7/25 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप। पीठासीन अधिकारी राजकार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते तलबी दिनांक 23/9/2025 को पेश हो।	
23/9/25 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप। नोटिस पेश नहीं हुआ लिहाजा पत्रावली 18/11/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)	
18/11/25 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप पीठासीन अधिकारी चुनाव में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते जवाब दिनांक 16/2/26 को पेश हो।	
16/2/26 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप। अप्रार्थी 05 से 07 की तलबी हो चुकी है किन्तु वे अनुपस्थित है अतः अप्रार्थी 05 से 07 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र धारा 212 RTAPL [illegible] गयी शपथपत्र [illegible] खारिज किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से तैयार कर पत्रावली के शामिल किया गया। पत्रावली [illegible] उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 174/2024

1. पूजा गुर्जर पुत्री श्री भंवरलाल पत्नि लालचन्द जाति गुर्जर उम्र करीबन 25 वर्ष निवासी ग्राम मुण्डोती तहसील किशनगढ़ हाल निवासी ग्राम बुहारू तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।

—प्रार्थीया

बनाम

1. ज्ञानचन्द पुत्र भंवरलाल
2. रमेश पुत्र भंवरलाल
3. सुरेश पुत्र भंवरलाल
4. किशनलाल पुत्र भंवरलाल

सर्व जाति गुर्जर सर्व निवासी ग्राम मुण्डोती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

5. बैंक ऑफ इंड़िया शाखा सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

6. उपपंजीयक, किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।

7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार,तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान । — अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर

दिनांक 16.02.2026

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामदेव गुर्जर ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. 1955 का पेश कर निवेदन किया कि वादीया/प्रार्थीया द्वारा माननीय न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसमें सफलता मिलने की पूर्ण आशा है परन्तु वाद पत्र में समय लगना स्वभाविक है इस कारण वाद पत्र के साथ उपरोक्त प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 व माता स्व. सायरी देवी के मध्य पूर्णरक्त संबंध है जिसका पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार से है :

भंवरलाल पुत्र हीरा

सायरी पत्नि (फोत) | ज्ञानचन्द | रमेश | सुरेश | किशनलाल | पूजा

उपरोक्त सजरे अनुसार भंवरलाल पुत्र हीरा जाति गुर्जर के प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 व स्व. माता सायरी देवी ही विधिक वारीसान व उत्तराधिकारी है इनके अलावा अन्य कोई वारीस या उत्तराधिकारी नहीं है। प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पूर्वाधिकारी/पिता की आराजीयात ग्राम मुण्डोती पटवार हल्का मुण्डोती तहसील किशनगढ़ के पूर्व खसरा नम्बर 330/5 के वर्तमान खसरा नम्बर 823/330 रकबा 1.6180 हैक्टेयर भूमि है जिसमें प्रार्थीया का 1/6 हिस्सा पैतृकतानुसार प्राप्त होता है। प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पिता के फौत होने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 व माता स्व. सायरी देवी द्वारा आपस में मिलीभगत करते हुये

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

को छोडते हुये अपने पक्ष में विरासतन नामान्तकरण संख्या 303 दिनांक 06.08.2001 को लिया गया। जो उपरोक्त नामान्तकरण प्रार्थीया के हितो व अधिकारों पर शुन्य व निष्प्रभावी जो प्रार्थीया अपने पैतृक हिस्सा 1/6 हिस्सा प्राप्त करने की कानूनन अधिकारी है। अप्रार्थीगण द्वारा अवैध कृत्य किया जाकर विरासतन नामान्तकरण प्रार्थीया को छोडते हुये खुलवा लिया गया है परन्तु उपरोक्त विरासतन नामान्तकरण प्रार्थीया के हितो पर शुन्य व निष्प्रभावी है एवं प्रार्थीया के हित, अधिकार आज दिन तक सुरक्षित है चूंकि प्रार्थीया के पूर्वाधिकारी (भंवरलाल पुत्र हीरा) के विधिक वारीसान है जिनका जन्म से ही वर्णित आराजीयात में हित, अधिकार निहित है। प्रार्थीया का विरासतन नामान्तकरण नहीं होने से माननीय न्यायालय में उद्घोषणा अनुतोष चाहने बाबत् वाद अलग से पेश किया गया है। प्रार्थीया उपरोक्त आराजीयात में अपने हिस्से पर काबिज काश्त है एवं अप्रार्थी 1 लगायत 4 द्वारा अवैधानिक खुलवाये गये विरासतन नामान्तकरण की आड़ में उपरोक्त आराजीयात को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है एवं प्रार्थीया को अपने हिस्से से बेदखल करने व कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग में बाधा कारीत करते है इस कारण अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है प्रार्थीया को अपने पैतृक हिस्से के कब्जे काश्त, उपयोग– उपभोग में बाधा कारीत नहीं करे मौके से बेदखल नहीं करे, एवं अन्यत्र को बैचान, हस्तान्तकरण नही करने हेतु पाबन्द किया जाना आवश्यक है। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत प्रार्थीया प्रथम श्रेणी की विधिक वारीसान होने से पैतृक कृषि आराजी में जन्म से अधिकार निहित है। इसके अनुसार पुत्रीयों और पुत्रो समान माना गया है जिससे अनुसार पैतृक सम्पति को पूत्रों को अधिकार मिला है तब से ही पुत्रीयों का अधिकार माना जायेगा। इस प्रकार विवादित आराजीयात पैतृक सम्पति होने से पुत्रों व पुत्रीयों का समान हिस्सा हैं जो उपरोक्त आराजी पैतृक सम्पति होने से प्रार्थीया खातेदारी उद्घोषणा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी होने से अलग वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्तनीय क्षति के तीनों बिन्दू प्राथीया के पक्ष में प्रबल है चुंकि प्रार्थीया का उपरोक्त आराजी में पैतृक हिस्सा निहित है परन्तु अप्रार्थीगण अवैधानिक रूप से गलत विरासतन नामान्तकरण की आड़ में उपरोक्त आराजी से प्रार्थीया को बेदखल करने पर आमादा है एवं उपरोक्त आराजीयात को बैचान करने पर उद्धत है अप्रार्थीगण अपने अवैध मन्सुबे में कामयाब हो जायेगे तो प्रार्थीया को अपूर्तनीय क्षति कारीत होगी जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार से किया जाना सम्भव नहीं होगा। प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पूर्वाधिकारी / पिता की आराजीयात ग्राम मुण्डोती पटवार हल्का मुण्डोती तहसील किशनगढ़ के पूर्व खसरा नम्बर 330/5 के वर्तमान खसरा नम्बर 823/330 रकबा 1.6180 हैक्टेयर भूमि को बेचान, हस्तान्तरण नहीं करने एवं प्रार्थीया के कृषकिय कार्य, कब्जे काश्त, उपयोग– उपभोग में मदाखलत उत्पन्न नहीं करने, प्रार्थीया को मौके से बेदखल नहीं करने हेतु अर्थात मौका व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने की कृपा करावें। अप्रार्थी संख्या 7 भूमि धारक है जो अधिकार अभिलेख को सुरक्षित रखने के अधिकार प्रदत्त किये गये है एवं अप्रार्थी संख्या 6 किसी भी प्रकार के हस्तानान्तरण प्रलेख निष्पादित का पंजीयन करने के लिए अधिकार प्रदत्त किये गये है इस कारण से अप्रार्थी संख्या 6 व 7 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अति आवश्यक है।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 24.07.2024 को दर्ज करवाया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी करवाई गई। दिनांक 16.10.2024 तक भी बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 16.02.2026 तक भी बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 05 से 07 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई।

3. दिनांक 16.02.2026 को वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया। हमारे द्वारा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र वादग्रस्त आराजी में पैतृकता के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा की डिक्री में अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने हेतु पेश किया गया है, प्रार्थना पत्र का धारा 212 राज.का.अधि. के तीन बिन्दुओं के अनुसार विवेचन किया गया,

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

.या प्रकरणः— वादअधीन भूमि में प्रार्थीया वर्तमान में काबिज काश्तकार नहीं है, अतः प्रथम प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नहीं है।

ा का संतुलनः— प्रार्थना पत्र संस्थन के समय से आदिनांक तक अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश रत नहीं करने पर किसी प्रकार का अन्तरण नहीं किया गया है, अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में नहीं है।

अपूरणीय क्षतिः— प्रार्थीया द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी दस्तावेज अथवा गवाह पेश नहीं किया गया जिससे प्रार्थी को अप्रार्थी से अपूरणिय क्षति कारित हो।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दुओं को प्रार्थीया सिद्ध करने में असफल रहें है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। अन्य बिन्दु दौराने वाद विचारण साक्ष्य एवं सुनवाई से तय किये जायेगें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 16.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

रजत यादव (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)